

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2461

दिनांक 12/08/2024

प्रार्थीगण:-

1. हासम 2. हसण 3. हुसैन पि. मुराद
जाति मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील
धनाऊ जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. रशीद 2. रसूल 3. इन्साफ पि. हकीम 4. विनेसर पुत्र अमीन,
जाति मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला
बाड़मेर 5. तहसीलदार धनाऊ

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।**

राजस्व आवेदन सं. 174/2024

दिनांक : 12.08.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र ईटादा के मौजा सुथारो का तला के खेत खसरा सं. 1142/192, 1143/33 रकबा क्रमशः 05.5523, 01.8130 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2462 to 2465

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण हासम वगैरा
3. विप्रार्थीगण रशीद वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 12/08/2024

(सुरजभाई चौहटन)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन